प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट डबलीकलां)

1. अभय (आयु 8 वर्ष) नाबालिग पुत्र रोहिताश जाति जाट निवासी डबलीकलां हाल आबाद मिर्जावाली मैर जरिये माता प्राकृतिक सरंक्षक मु0 राजकला पत्नी स्व0 रोहिताश जाति जाट निवासी डबलीकंला हाल मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. श्रीमती राजकला पत्नी स्व0 रोहिताश जाति जाट निवासी डबलीकलां हाल मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी।
2. श्रीमति कृष्णादेवी पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी।
3. पंजाब नैशनल बैंक रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयक टिब्बी।
5. श्रीमति सन्तोष पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः–629/2016
अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
निर्णय दिनांकः–13.6.2018

वादीगण की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण संख्या 1,2,5 की ओर से श्री अनिल सिडाना एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक नं. 14 डीबीएल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 75/63 में कुल 2.354 है में से वादी संख्या 1 अभय व वादीया संख्या 2 राजकला को चक नं. 14 डीबीएल के प0न0 180/364 मु0 24 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक सालम, प0न0 180/365 मु0 41 किला नं0 3 कुल 1.518 है0 भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन कर चक नं0 14 डीबीएल के खाता सं0 75/63 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	100/–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रर्दशों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	100/–	जोड़	0

Scanned by CamScanner